पत्र सं०-एम-4-09/2014-10065/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक-17.12.2019

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधान है कि सभी प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा योजना तथा गैर योजना मद के अन्तर्गत अपने विभाग से संबंधित सभी शीर्षो में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये राशि का आवंटन किया जाय, जिसके अंतर्गत पहली दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट में प्रावधानित राशि का 35 प्रतिशत अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का शतप्रतिशत राशि का आवंटन किया जाय ।

समीक्षोपरांत वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए वित्त विभागीय पत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज के आलोक में पहली दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि अन्तर्गत आवंटन निम्न प्रकार निर्गत किया जायेगा:-

1. राज्य की अपनी स्कीम (01 से शुरू होनेवाले उपशीर्ष) में बंधेज सीमा वर्त्तमान में 85 प्रतिशत तक निर्धारित किया जाता है।

2. केन्द्र प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश (02 से शुरू होनेवाले उपशीर्ष) एवं राज्यांश (03 से शुरू होनेवाले उपशीर्ष) तथा बाह्य संपोषित राज्य स्कीम (05 से शुरू होनेवाले उपशीर्ष) एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (04 से शुरू होनेवाले उपशीर्ष) की बंधेज सीमा को 100 प्रतिशत तक निर्धारित किया जाता है।

3. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद (00 से प्रारंभ होनेवाले उपशीर्ष) में पूर्ववत् प्रतिशत बंधेज सीमा 100 प्रतिशत निर्धारित रहेंगे।

अत: अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ओम प्रकाश झा)
अपर सचिव

sec-4/75

ज्ञापांक–एम–4–09/2014–10065/वि०,　　　　　　　　　　　　पटना–15, दिनांक–17.12.2019

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

ज्ञापांक–एम–4–09/2014–10065/वि०,　　　　　　　　　　　　पटना–15, दिनांक–17.12.2019

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/लोकायुक्त के सचिव, पटना/सचिव, लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

ज्ञापांक–एम–4–09/2014–10065/वि०,　　　　　　　　　　　　पटना–15, दिनांक–17.12.2019

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

ज्ञापांक–एम–4–09/2014–10065/वि०,　　　　　　　　　　　　पटना–15, दिनांक–17.12.2019

प्रतिलिपिः–श्री पंकज कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव–सह–बजट पदा0, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके गै0प्रे0सं0–215 दिनांक 16.12.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–

अपर सचिव

ज्ञापांक–एम–4–09/2014–10065/वि०,　　　　　　　　　　　　पटना–15, दिनांक–17.12.2019

प्रतिलिपिः–सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सभी संबंधित ई–मेल से प्रेषित करने तथा वित्त विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/12/19

अपर सचिव

sec-4/76